2.1

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में ह्वील कुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 736/ जिला योजना/ 2013–14 दिनांक 05.09.2013 द्वारा जनपद बागेश्वर में ह्वीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा ग्वालदम नाग तक सम्पर्क मोटर मार्ग (वन भूमि हस्तान्तरण के लिए) रू0 0.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा जनपद बागेश्वर के तहसील गरूड़ के अन्तर्गत अल्मोड़ा– ग्वालदम मोटर मार्ग के कि0मी0 82 से ह्वीलकुलवान तक 5 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सर्वेक्षण उपरान्त 4.4187 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी/ यू.सी.पी./ 06/ 273/ एफ.सी./ 1166 दिनांक 16.01.2009 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं राज्य सरकार के शासनादेश संख्या जी.आई.–1882/ 7–1–2009–600 (2028)/ 2007 दिनांक 27.01.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग के हिल साईड में ग्राम ह्वीलकुलवान के तोक स्योकुणा में नाग देवता का धार्मिक एवं पौराणिक मंदिर हैं जहां पर वर्षभर एवं नवरात्रि पर हजारों की संख्या में धार्मिक यात्री आते है परन्तु चढ़ाई मे होने एवं यातायात के साधन न होने के कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण उपरान्त इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 आती है। ग्रामीण जनता अपने निजी उपयोग हेतु जलौनी लकड़ी के लिए जंगलों पर निर्भर रहती है। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से धार्मिक पर्यटकों को यातायात की सुविधा के साथ ही स्योकुणा की जनता को अन्य सुविधाओं के साथ साथ गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण वर्तमान निर्मित ह्वील कुलवान मोटर मार्ग के कि.मी. 5 के है0मी0 0–2 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार आरम्भ में आरक्षित वन भूमि एवं उसके बाद वन पंचायत भूमि तथा अंत में नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण वर्तमान निर्मित मोटर माग्र के कि0मी0 5 है0मी0 8–10 से प्रस्तावित किया गया है। इसमें बैन्ड अधिक आने से वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। संरेखण में अधिक वन भूमि होने के कारण हस्तान्तरण हेतु भूमि की चौड़ाई 7 मीटर प्रस्तावित की गयी है। अतः 3.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.03 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 147 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर